

कार्यालय अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

आदेशांक-वा0क0अधि0/यु0पीठ निरस्त/ /2024, लखनऊ :: दिनांक 23 फरवरी, 2024

-:: संशोधित आदेश ::-

न्यायिक सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-1 लखनऊ ने पत्र संख्या-141/2024 दिनांक 22.02.2024 द्वारा दिनांक. 04.03.2024 से 07.03.2024 तक व्यक्तिगत कारणों से वाराणसी में निर्धारित युगल पीठ कार्यक्रम में सम्मिलित होने में असमर्थता व्यक्त करते हुए वाराणसी में गठित खण्ड पीठ से मुक्त किए जाने का अनुरोध किया गया है।

अतः उपरोक्त परिस्थितियों में सम्यक विचारोपरान्त आदेश सं0 145/2024 दिनांक 31.01.2024 द्वारा गठित खण्ड पीठ को आंशिक रूप में संशोधित करते हुए, वाराणसी में दिनांक 04-03-2024 से 07-03-2024 तक गठित युगल पीठ में न्यायिक सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण पीठ प्रथम, लखनऊ के स्थान पर न्यायिक सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ प्रथम, इलाहाबाद को वाराणसी की युगल पीठ में सम्मिलित होने हेतु नामित किया जाता है। शेष स्थिति यथावत बनी रहेगी।

तदनुसार सम्बन्धित कार्यालय/अधिकारियों को सूचित किया जाये।

ह/-23.02.2024

(रणधीर सिंह)

एच0जे0एस0

अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन संख्या-वा0क0अधि0/यु0पीठ निरस्त/24/2024 दिनांक :: यथोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ -1, लखनऊ।
- 2- सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ-1, इलाहाबाद एवं पीठ-5, वाराणसी।
- 3- मुन्सरिम/पेशकार/वरिष्ठ सहायक (यात्राभत्ता)/विवरण/कम्प्यूटर/वेब अधिकारी मुख्यालय।
- 4- संबंधित अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष/सचिव द्वारा पीठासीन अधिकारी।

आज्ञा से,

निबंधक,

वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।